मा.शिक्षा/निजी/GOVT./ 1090
दिनांक 21 MAR 2011

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(7)शिक्षा–1/2009

जयपुर, दिनांक :– 17-3-11

आयुक्त,
माध्यमिक शिक्षा
राज0 बीकानेर

विषयः–राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण की योजना वर्ष 2011 के दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2011–12 के बजट भाषण में साइकिल वितरण योजना में कतिपय संशोधन करने का उल्लेख किया है (बजट भाषण का पैरा संख्या 135)। विभाग द्वारा वर्तमान में कियान्वित की जा रही साइकिल योजना के लिये पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में घोषणा संख्या 135 के अनुसार आवश्यक संशोधन कर संशोधित दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु संशोधित दिशा निर्देशों को विभागीय वेवसाइट तथा मासिक शिविरा पत्रिका में भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साइकिल योजना हेतु छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने, साइकिलों के कय तथा छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित प्रकिया पूर्ववत ही रहेगी।

अतः साइकिल योजना में किये गये संशोधनों के संबंध में समस्त संभागीय उपनिदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को विस्तृत दिशा निर्देश भिजवाते हुए दिनांक 15.7.2011 तक साइकिल वितरण की कार्यवाही कराने की सुनिश्चतता करावें।

भवदीय,
17/3/2011
उपशासन सचिव,प्रथम

प्रतिलिपी : निदेशक, संस्कृत शिक्षा को भेजकर लेख है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वांछित प्रस्ताव अविलम्ब आयुक्त, मा0शि0 को भिजवाने की सुनिश्चितता करावें।

उपनिदेशक,सा0 17/3

राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण की योजना, 2011

माननीय मुख्यत्री महोदय (वित्त मंत्री) ने अपने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में निम्नानुसार घोषणा की है:-

"135. आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, अपने रहवास वाले गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा पास करके कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर, साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साईकिलों हेतु, छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साईकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साईकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष, कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।"

माननीय मुख्य मत्री महोदय के उक्त घोषणा के अनुसरण में वर्तमान में प्रभावशील साइकिल योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को संशोधित करते में शिक्षा सत्र 2011-12 से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रभावी होंगे:-

1- इस योजना के अंर्तगत केवल वह छात्राएं ही पात्र होंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगी। यह योजना किसी भी शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगी।

2- पूर्व में साइकिल योजना के अंर्तगत छात्राओं के आवास से विद्यालय की निर्धारित 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी का मापदण्ड एतदद्वारा विलोपित किया जाता है। अब इस योजना के अंर्तगत केवल वह छात्राएं पात्र नहीं होंगी जिनके रहवास के ग्राम में राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। अन्य सभी छात्राएं इस योजना के अंर्तगत पात्र होंगी यदि वह इस योजना की अन्य सभी शर्तों की पूर्ती करती हों।

3- इस योजना के अंर्तगत पूर्व में निर्धारित छात्रांश की राशि को एतादद्वारा घटा कर 300/- रूपये से 100/- रुपये किया जाता है। अतः अब छात्रांश के रूप में केवल 100/- रूपये लिये जायेगें।

4- छात्राओं को साईकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जायेगा। लेकिन इस योजना के अंर्तगत पात्र छात्राओं को साइकिल योजना या ट्रांसपोर्ट वाउचर में से किसी एक योजना का ही लाभ दिया जायेगा।

5- कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं को आगामी कक्षाओं में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा यदि वह उसी विद्यालय में अध्ययनरत रहती है। लेकिन यदि कोई छात्रा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य किसी ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है जो उसके रहवास से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है स्थित है तो उस छात्र को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंर्तगत लाभान्वित किया जा सकता है।

6- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर शिक्षा सत्र 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के साथ-साथ शिक्षा सत्र 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों

में कक्षा 10 में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्हें पूर्व में साइकिल योजना के अंर्तगत लाभान्वित नहीं किया गया है इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऐसी छात्राओं के लिए भी इस योजना के संशोधित प्रवधान लागू होंगे तथा संशोधित योजना के अंर्तगत पात्र होने पर ऐसी छात्राओं से 100/- रूपये छात्रांश की राशि प्राप्त कर उन्हें नवीन साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

7- शिक्षा सत्र 2012-13 से केवल उनहीं छात्राओं को इस योजना के अंर्तगत लाभान्वित किया जा सकेगा जो 8वीं कक्षा उतीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेंगी।

साइकिल योजना हेतु छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने, साइकिलों के क्रय, तथा छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया (procedure) पूर्ववत रहेगी।

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0